



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 20, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 09, 2022
Magha 20, Wednesday, Saka 1943- February 09, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2022

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है एवं जिनमें समय-समय पर यथासंशोधित, मैं निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 2 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“2. प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के संचालक यथा राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम, समस्त व्यवसायिक दुकान आदि द्वारा अपने परिसर के भीतर समस्त कर्मचारी व ग्राहक को समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) की पालना सुनिश्चित करेगा।”

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

भवानी शंकर,

वरिष्ठ शासन उप सचिव।

1984

Government Central Press, Jaipur.